बाल मित्र जिला टोंक के अन्तर्गत विधालयों एवं पुलिस थानों की गतिविधियां
12-13 जनवरी 2017

बच्चों के संरक्षण के लिए केवल पुलिस का संवेदनशील होना एवं बच्चों के हित में विधि सम्मत कार्यवाहियां करना पर्याप्त नही है वरन् हमें समाज के बाकी लोगों को भी साथ में लेना होगा। इसी मान्यता को मूर्त रूप देते हुए अकादमी ने टोंक जिले का चयन कर बहुस्तरीय कार्यक्रम बाल मित्रवत जिले के रूप में बनाने पर वर्ष 2015 में आरम्भ किया। इसका उद्देश्य टोंक जिले में ऐसी गतिविधियां का आयोजन करना था जिसमें न केवल पुलिस हितैषी हो वरन् अन्य सरकारी, गैर सरकारी विभाग एवं संस्थाओं सहित आम जन में बच्चों के प्रति संवेदनशीलता हो एवं बच्चों के हित में अपनी सक्रिय भूमिकाएं निभाये।

बाल संरक्षण में स्वयं बच्चों की भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। कि उन्हें भी इसके लिए जागरूक बनाया जाये। इसके लिए अकादमी ने टोंक जिले के थाने बरोनी एवं निवाई के विधार्थियों को थानों की कार्यप्रणाली समझाने के लिए थानों का भ्रमण एवं विधालयों में संवाद कार्य किया गया।

थाना बरोनी एवं निवाई पर राजकीय विधालयों के क्रमश: 48 एवं 32 विधार्थियों ने थाने का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विधार्थियों से बालकों के अधिकारों से संबंधित प्रश्न पूछे गये जिनके बारे में विधार्थियों को कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। विधार्थियों ने यहां पुलिस अधिकारियों से उनकी भूमिकाओं एवं थाने की कार्यवाहियों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा अपने मन में व्याप्त पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए सवाल जवाब किये।

बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों जिनमें से प्रमुख रूप से बाल श्रमिक व बंधुआ बाल श्रमिक, बाल विवाह, शोषण व अत्याचार, बाल तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या एवं थाने में बच्चों के अधिकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट, बच्चों की निरूद्धगी, मुसीबत में मदद के लिए पुलिस द्वारा किये जाने वाले प्रयास एंव यातायात नियम आदि के बारे में जानकारियां दी गई। विधार्थियों

को महिला एवं बाल डेस्क, मानव तस्करी विरोधी ईकाई विशेष किशोर पुलिस ईकाई, चाईल्ड लाइन, पुलिस कन्ट्रोल रूम रूम दूरभाष के बारे में जानकारी दी गयी।

बाल विषय पर बरोनी एवं निवाई के विधालयों से संवाद किया गया। उनके साथ आत्म रक्षा के मुद्दों पर महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए उन्हें बताया गया कि छेडछाड एवं यौन हिंसा की घटनाओं से स्वयं महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त होना चाहिये। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी आत्म रक्षा के लिए आवयश्क बातें सीखे ताकि शारीरिक दक्षता एवं बुद्धि कौशल दोनों को काम में लेकर कभी अप्रिय स्थिति हो तो सामना कर सकें।

विधार्थियों को आत्म सुरक्षा के लिए बताया गया कि जब भी घर से निकले अपने परिवार जन को गन्तव्य स्थान एवं आने का समय बतायें। पैदल चलते हुए फोन पर ज्यादा लम्बी बात नहीं करें एवं आगे पीछे दुखते हुए रहें कि काई आपका पीछा तो नहीं कर रहा है। लोगों पर ऑख बन्द का विश्वास नहीं करें। विवेक से निर्णय लें। विधालय के आसपास जारी पुलिस गश्त व्यवस्था, पी.सी.आर. वैन एवं मोटर साईकल गश्ती दल की उपस्थिति इत्यादि के बारे में जानकारी रखें एवं कहीं भी छेडखानी एवं मनचलों की हरकतें सामने आये तो तत्काल पुलिस गश्ती व्यवस्था पुलिस कन्ट्रोल रूम में या पी.सी.आर. वैन इत्यादि को सूचित करें। किसी के साथ भी छेडखानी की घटना होने पर मूक दर्शक नहीं बनकर उनके बचाव हेतु आगे आये एवं दूसरों को भी मद्द के लिए पुकारे। आत्म रक्षा के लिए सेल्फ डिफेन्स कोर्सेज- जूडो, ताईकवान्डो, कूंग फू, इत्यादि में रूचि लें, सुरक्षा टिप्स सीखें एवं अन्य बालिकाओं को इसके बारें में जानकारी दें। कार्यक्रम के अन्त में शिक्षकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया भविष्य में भी आयोजनों में मद्द की अपेक्षाएं जाहिर की। पुलिस थानों पर 80 विधार्थियों शैक्षिक भ्रमण एवं दोनों थाना क्षेत्रों के विधालयों के 450 विधार्थियों ने भाग लिया।